Title: Need to include Kurmi caste of Chota Nagpur in the Scheduled Tribes list- Laid.

श्री राम टहल चौधरी (रांची): अध्यक्ष महोदय, छोटा नागपुर की कुर्मी जाति जंगलों में रहती है और उनका रहन-सहन एवं संस्कृति बिल्कुल आदिवासी जैसी है। परन्तु उनको कुछ कारणों से आदिवासी विकास योजनाओं एवं अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली आरक्षण सुविधा नहीं मिल रही है। नोटिफिकेशन 550 दिनांक 2 मई, 1913 में दि गजट ऑफ इंडिया द्वारा आरक्षण दिये जाने की बात कही गयी है। उन्हें आजादी के बाद जनजातियों की सूची में नहीं रखा गया है परन्तु कुडमी एवं कुरमी के शब्दों की वजह से न जाने क्यों छोटा नागपुर की कुरमी जाति को जनजातियों को नहीं गिना जा रहा है। भाााविद सर जी.ए. प्रिर्यसन की पुस्तक लिगुडस्टिक सर्वे आफ इंडिया के पांचवें अध्याय में इसका जिक्र भी किया है और इस नोटिफिकेशन में नोट के माध्यम से इसको स्पट किया गया है। न इस संबंध में कोई न्यायालय में विवाद हुआ और न ही इसका विरोध , परन्तु न जाने क्यों छोटा नागपुर की कुरमी जाति को जनजातियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसकी जांच करना अति आवश्यक है कि कुर्मी जातियों को जनजातियों की सूची से कैसे निकाला गया।

अतः सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण की जांच करें और छोटा नागपुर की कुरमी जाति को जनजातियों को गिना जाये और उन्हें आरक्षण का लाभ भी मिले।